सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामां जिला भरतपुर
व इजलाश श्री दिनेश शर्मा आर0ए0एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मुकदमा नं0 49 / 2022

1— सावलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया निवासी ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां

प्रार्थी

बनाम

1—रमेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया निवासी गुरगुरिया
2—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां (भरतपुर) राजस्थान
3—शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुरहरा तहसील कामां

अप्राथीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

## निर्णय

दिनांक :— 01.06.2023

**प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा** एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राज0 अधिनियम के **तहत पेश कर निवेदन किया है कि** भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल खसरा नम्बर 18 / 0.26 पूर्व के सा‍विक खसरा नम्बर 7 / 0.26 से एवं हाल खसरा नम्बर 63 / 0.16 पूर्व के साविक खसरा नम्बर 438 / 81 / 0.16 हैक्टेयर रकबा के बनाये गये हैं जो कि बांके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां में स्थित है। पूर्व के साविक खसरा नम्बर 7 / 0.26, 438 / 81 / 0.16 हैक्टेयर बांके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी थी जिस पर प्रार्थी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने पूर्व के साविक खसरा नम्बर 7 / 0.26, 438 / 0.16 बांके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां में से दिनांक 01.08.2022 को आराजी खसरा नम्बर 07 / 0.26 बांके ग्राम गुरगुरिया को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से अप्रार्थी संख्या 1 को बेचान कर दिया । दिनांक 01.08.2018 के रजिस्टर्ड बयनामा के आधार पर पटवार हल्का दिनांक 20.08.2018 को आराजी खसरा नम्बर 07 / 0.26 का दा0खा0न0 642 भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा दा0खा0न0 642 को खसरा नम्बर 7 / 0.26 की बाबत अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में फैसल किया गया था। नकल फोटो कॉपी बयनामा दिनांक 01.08.2018 व नकल दा0खा0न0 642 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पटवारी हल्का द्वारा रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.08.2018 के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा दा0खा0नं0 642 को फैसल करने के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दा0खा0नं0 642 को संवत 2067 से 2070 की जमाबन्दी में अप्रार्थी नं0 1 के नाम अमल करते वक्त आराजी खसरा नं0 7 / 0.26 के साथ आराजी खसरा नम्बर 438 / 81 / 0.16 पर भी अप्रार्थी नं0 1 के नाम कतई गलत रूप से खिलाफ रजिस्टर्ड बयनामा व खिलाफ दा0खा0नं0 642 से इन्द्राज दर्ज कर दिया था जिसकी वजह से भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व साविक खसरा नम्बर 7 / 0.26 व 438 / 81 / 0.16 के क्रमशः नये नम्बरान 18 / 0.26, 63 / 0.16 की जमाबन्दी बनाते वक्त खसरा नम्बर 18 / 0.26 के साथ—साथ खसरा नम्बर 63 / 0.16 को भी अप्रार्थी नं0 1 के नाम कतई गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 07.11.2022 को नकल जमाबन्दी प्राप्त करने पर हुई। विधि वजह प्रार्थी जरिये अदालत रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 01.08.2018 व दा0खा0नं0 642 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर हाल

उपखण्ड अधिकारी

n

खसरा नम्बर 18/0.26 पर अप्रार्थी नं0 1 के नाम एवं खसरा नम्बर 63/0.16 पर प्रार्थी के नाम इन्द्राज दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अप्रार्थी नं0 1 के नाम आराजी खसरा नम्बर 63/0.16 हैक्टर बांके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी का इन्द्राज रजिस्टर्ड बयनामा व दाखित खारिज नं0 642 के विपरीत पटवारी हल्का की भूल से इन्द्राज दर्ज किया जा रहा है। जिसका नाजायज फायदा उठाने की गरज से अप्रार्थी नं0 1 आराजी खसरा नम्बर 63/0.16 बांके ग्राम गुरगुरिया को तुरन्त प्रभाव से दीगर शख्सों को रहन वय मुन्तकिल कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज परिवर्तन कराने की फिराक में है जिसकी बाबत् अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 08.11.2022 को प्रार्थी की ऐलानिया धमकी दी है। यदि अप्रार्थी नं0 1 अपने इस धमकी भरे नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को आराजी खसरा नमब्र 63/0.16 की बाबत ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी विधि वजह प्रार्थी अप्रार्थी नं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा सं पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। कि अप्रार्थी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 63/0.16 हैक्टर बांके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां को रहन वय मुन्तकिल नहीं करे राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं करावे एवं आराजी खसरा नम्बर 63/0.16 हैक्टर की बाबत् ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे प्रार्थी के अधिकारों पर भारी कुठाराघात हो ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर हाल जमाबन्दी में आराजी खसरा नम्बर 18/0.26 वाके ग्राम गुरगुरिया तहसील कामां पर अप्रार्थी नं0 1 के नाम एवं खसरा नम्बर 63/0.16 पर प्रार्थी नं0 1 के नाम इन्द्राज दर्ज किये जाने के अप्रार्थी नं0 2 को आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाव पेश किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 7/0.26 (हाल नम्बर 18/0.26) व 438/81/0.16 (हाल नम्बर 63/0.16) की शुद्धि चाही है । जिसमें पटवारी हल्का सोनोखर की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :–'

जमाबन्दी सं0 2067–70 ग्राम गुरगुरिया के खाता सं0 115 में सावंलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थे । मुताबिक इन्तकाल नं0 642 बयनामा से आ0ख0नं07/0.26 सांवलसिंह के स्थान पर रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया खातेदार के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ तथा पूर्व पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी सं0 2067–70 ग्राम गुरगुरिया के खाता सं0 115 में लाल स्याही के पैन से नोट लगा दिया गया , परन्तु नोट लगाने समय खसरा नम्बर का अंकन नहीं किया गया । इसी प्रकार पूर्व पटवारी द्वारा नामा0सं0 6545 रहननामा दिनांक 7.7.2020 से दोनों खसरा नम्बरपी0एन0बी0 शाखा जुरहरा में रहनदर्ज एवं स्वीकार करा दिये गये। पूर्व पटवारी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी सं0 2074–2077 सेग्रीशन में जमाबन्दी सं02067.70 में लगे नोट के आधार पर खाता सं0 102 पर उक्त दोनों खसरा नम्बरों हाल 18/0.26, 63/0.16 रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया साकिन गुरगुरिया खातेदार राहिन पी.एन0बी0षाखा जुरहरा दर्ज रिकार्ड किया गया है ।

अतः वर्तमान में मौके पर आ0ख0नं0 18/0.26 पर रमेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया व आ0ख0नं0 63/0.16 पर सांवलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया सा0 गुरगुरिया कब्जा काश्त करते चले आ रहा है ।

प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी सं0 2074–2077, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल नक्शा मिलान, नकल दाखिल खारिज सं0 642, नकल जमाबन्दी सं0 2067.2070 सलग्न है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया । तथा उपलब्ध दस्तावेज एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । तहसीलदार कामां के पत्रांक/एल.आर.0/2023/334 दिनांक 10.3.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई कि प्रार्थी सावंलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया

n

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०

निवासी ग्राम गुरगुरिया द्वारा साबिक खसरा नम्बर 7/0.26 हाल नम्बर 18/0.26 व 438/81/0.16 हाल नम्बर 63/0.16 की शुद्धि चाही है । जिसमें पटवारी हल्का सोनोखर की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

जमाबन्दी सं0 2067-70 ग्राम गुरगुरिया के खाता सं0 115 में सांवलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थे । मुताविक इन्तकाल नं0 642 बयनामा से आ. ख.नं.7/0.26 सांवलसिंह के स्थान पर रमेशचन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया खातेदार के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुआ । तथा पूर्व पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी सं0 2067-70 ग्राम गुरगुरिया के खाता सं0 115 में लालस्याही से पैन से नोट लगा दिया गया ,परन्तु नोट लगाते समय खसरा नम्बर का अकन नहीं किया गया । इसी प्रकार पूर्व पटवारी द्वारा नामा0 654 रहनामा दिनांक 7.7.2020 से दोनो खसरा नम्बर पी0एन0वी0शाखा जुरहरा में रहनदर्ज एवं स्वीकार करा दिये गये । पूर्व पटवारी द्वारा वर्तमान जमाबन्दी सं0 2074-77 सेग्रीगेशन में जमाबन्दी सं0 2067-70 में लगे नोट के आधार पर खाता सं0 102 पर उक्त दोनों खसरा नम्बर हाल 18/0.26, 63/0.16 रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया सा0 गुरगुरिया खातेदार राहिन पी0एन0वी0 जुरहरा दर्ज रिकार्ड किया गया ।

अतःवर्तमान में मौके पर आ0,ख0नं0 18/0.26 पर रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया व आ0ख0नं0 63/0.16पर सांवलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया सा0 गुरगुरिया कब्जा काश्त करते चले आ रहे है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । उपलब्ध दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार मौके पर आ0,ख0नं0 18/0.26 पर रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया व आ0ख0नं0 63/0.16पर सांवलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया सा0 गुरगुरिया कब्जा काश्त करते चले आ रहे है । जिसे शुद्ध किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर आ0,ख0नं0 18/0.26 पर रमेश चन्द पुत्र बाबूलाल जाति गडरिया व आ0ख0नं0 63/0.16पर सांवलसिंह पुत्र रतीराम जाति गडरिया सा0 गुरगुरिया कब्जा काश्त के अनुसारशुद्ध किया जाता है । प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2023 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०